भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2688
02 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: छत्तीसगढ़ में पीएम-किसान योजना

2688. श्री गुहराम अजगल्ले:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे किसानों की संख्या कितनी है, जिन्हें पीएम-किसान की 4-5 किस्तें मिली थीं लेकिन अंतिम किश्त नहीं मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या वास्तविक लाभार्थी किसानों के स्थान पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों के खाते में धन अंतरित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): दिनांक 28/07/2022 तक छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले में पीएम-किसान के तहत कुल 5,13,574 किसान पंजीकृत हैं।

(ख) से (घ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करते हैं। लाभार्थी उस 4-मासिक अवधि की उस योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं जिसमें वे योजना के तहत पंजीकृत हुए हैं। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ अंतरित किया जाता है। लाभार्थियों के डेटा के स्वचालित सत्यापन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु, आधार प्रमाणीकरण के लिए पीएम-किसान पोर्टल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई); खाते और सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी डेटा के पुष्टीकरण के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस); आयकर दाता की स्थिति के पुष्टीकरण के लिए आयकर विभाग; और खाता पुष्टीकरण और आधार आधारित

भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के पोर्टलों के साथ एकीकृत किया गया है।

पात्र किसानों का नामांकन किया जा रहा है तथा मृतक/अपात्र लाभार्थियों को लाभार्थी के डेटा के निरंतर सत्यापन और पुष्टि के माध्यम से हटाया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित पुष्टीकरण के बाद लाभार्थियों को अपात्र और पात्र के रूप में चिह्नित करने का विकल्प प्रदान किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार खाते और आधार से जुड़े खाते के सत्यापन के बाद धन अंतरित किया जाता है।

****